



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)



पत्रांक:-

/ कर अनु0 / 2024-25

दिनांक-

"ई-निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विद्युत पोलों पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन लगाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा की तिथि	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	विद्युत पोलों पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन लगाने हेतु	दि0 12.11.24 के 10.A.M से दि0 27.11.24 के 12.P.M तक	दि0 27.11.24 के 3.P.M	कक्ष सं0 08

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदा की नियम व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

प्रशासक/जिलाधिकारी
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- 2247/ कर अनु0 / 2024-25

दिनांक- 11-11-24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक दैनिक पत्र एवं अन्न सेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 12.11.24 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री कमल तिवारी, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिवाइडरों पर स्थित विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन लगाने हेतु ई-निविदा (2024-26) की शर्तें एवं प्रावधान:-

1. विद्युत पोलो पर कियोस्क लगवाने हेतू ठेके ही अवधि कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष तक मान्य होगी।
2. विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क अधिकतम 2.5X04 फीट के आकार के लगाये जायेंगे जो भूमि से कम से कम 2.5 मी0 ऊँचाई पर स्थापित किये जायेंगे।
3. नगर निगम द्वारा न्यूनतम निविदा राशि रू0 18,50,000.00 (रू0 अठारह लाख पचास हजार मात्र) दो वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है, जिसमें 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
4. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) किन्ही 03 वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) किन्ही 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र (UDIN न0 सहित) रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) प्रतिवर्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है, निविदाके साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (1,85,000.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. उक्त निविदा में प्रतिभाग करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य निकायों में होर्डिंग/विज्ञापन के कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण संलग्न करना होगा।
8. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी।
9. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
10. भविष्य मे यातायात जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी पोल कियोस्क हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में पोल कियोस्क हटाने होंगे। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. पोल कियोस्क में विद्युत विज्ञापन अथवा डिजिटल विज्ञापन नगर निगम की पूर्व अनुमति के पश्चात ही स्थापित किये जायेंगे, जिसमें आने वाले व्यय व बिजली के बिल का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा ही किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्युत पोल पर रंग-रोगन आदि का कार्य अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा। डिजिटल विज्ञापन लगाये जाने पर उसकी अलग से दरें निर्धारित की जायेंगी।
12. पोल कियोस्क इस प्रकार से लगाये जायेंगे जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा पोल कियोस्क आँधी तूफान में भी पूर्णतः सुरक्षित रहें। आँधी तूफान या अन्य किसी कारणवश पोल कियोस्क के गिरने से यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
13. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा घनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। "निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।
15. अनुबंधकर्ता को ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की घनराशि वापस की जायेगी।
16. अनुबंधकर्ता को समय-समय पर मा0 न्यायालय/उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन ऊधमसिंह नगर/नगर निगम रूद्रपुर द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
17. पोल कियोस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे नगर निगम द्वारा उपरोक्त के संबन्ध कोई भी घनराशि देय नहीं होगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फेलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडाने वाले ना हो एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
20. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
21. पोल कियोस्क लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
22. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हों या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो ऐसे कियोस्क की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
23. पोल कियोस्क नगर निगम के विद्युत अनुभाग के प्रकाश निरीक्षक/अवर अभियन्ता के निर्देशन में लगाये जायेंगे।
24. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेंटिंग, विद्युत पोलों पर लगे विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।
25. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो

उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

26. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्त अनुबन्ध का भाग होंगी, तथा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को एक सप्ताह का नोटिस प्रेषित किया जायेगा उस अवधि में अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर रू0 1,000.00, (एक हजार) प्रति पोल कियोस्क की दर से तथा पुनः शिकायत का निराकरण न होने पर रू0 5,000.00 (पाँच हजार) जुर्माना प्रति पोल कियोस्क आरोपित किया जायेगा।
27. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
28. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है।
29. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
30. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।


अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-


- I. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 07 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, एवं जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- II. प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीमत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पडोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पडने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील गन रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- III. प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दशर उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।


वर्तमान डिवाइडर पोलों की सूची	
1- ट्रांजिट कैम्प पुलिस थाना से सिडकुल ढाल तक (45 पोल)	7- रामलीला मैदान के सामने इन्द्रा कॉलोनी (05 पोल)
2- काशीपुर बाईपास रोड डीडी चौक तक (38 पोल)	8- इन्द्रा कॉलोनी गली न0 01 से गली न0 06 तक (09 पोल)
3- किच्छा बाईपास रोड डी0डी0 चौक से तीन पानी तक (65 पोल)	9- घास मण्डी डिवाइडर आदर्श कॉलोनी (12 पोल)
4- अग्रसेन चौक से विशाल मेगामार्ट तक (19 पोल)	10- बालाजी रोड डिवाइडर आदर्श कॉलोनी (18 पोल)
5- रूद्रा कॉन्टीनेन्टल होटल से एस्कोटेल टावर तक (19 पोल)	11- गल्ला मण्डी रोड डिवाइडर (10 पोल)
6- आदर्श कॉलोनी मा0 विधायक के आवास से मोहन किराना स्टोर तक (15 पोल)	12- रिंग रोड डिवाइडर आवास विकास (20 पोल)
कुल पोल	275


**डिवाइडरों पर स्थित विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क लगाने हेतु ई-निविदा की निर्धारित Key Dates
निम्नानुसार है:-**


S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	13.11.2024	10.A.M.
2	Documents download start date	13.11.2024	10.A.M.
3	Bid submission start date	13.11.2024	10.A.M.
4	Bid submission End date	27.11.24	12.P.M.
5	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	27.11.24	12.P.M.
	Bid Opening Date	27.11.24	3.P.M.



(निशा तिवारी)
कर एवं राजस्व मौहरीर
नगर निगम रुद्रपुर



कर निरीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर


(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर


(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर


(शिखा जोशी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर


(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर


जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर